छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर
---00---

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक27/06/2015

क्रमांक एफ 20–95/2004/11/6 :: छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 (2002 कमांक 7) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन; उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से निवेशक संपर्क केन्द्र हेतु राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी तथा प्रत्येक जिले के लिए एक जिला स्तरीय नोडल एजेंसी नियुक्त करता है।

2/ राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी, राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के संयोजक के अधीन उद्योग विभाग का एक प्रकोष्ठ होगा तथा जिला स्तरीय नोडल एजेंसी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधीन एक प्रकोष्ठ होगा। उक्त दोनों प्रकोष्ठ एकल खिड़की प्रणाली (Singal Window System) के रूप में कार्य करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सुबोध कुमार सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

D:/Udhyog Vibhag/Adhisuchna.doc. 4